संख्या-42/2026/342/59-2-2026/002-1805789

प्रेषक,

कपिल देव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में माह अप्रैल, 2005 से नियुक्त कार्मिकों को एन0पी0एस0 पेंशन योजना अंशदान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-179-80/खा0ग्रा0बो0/एन0पी0एस0/बजट मांग पत्रा0-(VIII)/2026-27, दिनांक 23.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में माह अप्रैल, 2005 से नियुक्त कार्मिकों को नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत नियोक्ता अंशदान के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 207.53 लाख (रूपये दो करोड़ सात लाख तिरपन हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-15/2026/143/59-2-2026/001-1805789, दिनांक 13 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 69.17 लाख (रूपये उनहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 138.36 लाख (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख छत्तीस हजार मात्र) में से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 69.17 लाख (रूपये उनहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 69,17,000 (रूपये उनहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 005 **लेखा शीर्षक** 2851001053000 एन0पी0एस0 पेंशन योजना अंशदान **मानक मद** 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-22-X-2026-27, दिनांक 03.08.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कपिल देव
अनु सचिव।

संख्या-42/2026/342(1)/59-2-2026/002-1805789, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कपिल देव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।